



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

शिक्षा विभाग

(मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(Ministry of HRD, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं.17-3/2019(प्र./वि.)/मसारावेविप्र/

दिनांक : 03.03.2022

कार्यालय आदेश - 1100

विषय : प्रतिष्ठान से अनुदानित वेद पाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में अध्ययनरत छात्रों की वेदभूषण "पंचम" वर्ष एवं वेद विभूषण "द्वितीय" वर्ष परीक्षा आयोजन के संबंध में।

प्रतिष्ठान से अनुदानित समस्त वेदपाठशालाओं/ गुरु-शिष्य परम्परा योजना इकाइयों में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षणिक सत्र 2021-22 की वेदभूषण प्रथम से चतुर्थ वर्ष एवं वेदविभूषण प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं दिनांक 24 -25 फरवरी, 2022 को संपन्न हुई हैं।

अभी भी देश में लगभग 7000 कोविड-19 केस आ रहे हैं तथा वैक्सीन भी दी जा रही है। छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरी है, तथा परीक्षा भी आयोजित की जाना अनिवार्य है। अतः समस्त वेदपाठशाला / इकाई अध्यापक छात्रों की सुरक्षा हेतु वेदपाठशाला/इकाई में मास्क, सेनेटाइजर, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा छात्रों को वैक्सीनेशन अवश्य कराएं।

इसी क्रम में वेदभूषण "पंचम" वर्ष एवं वेदविभूषण "द्वितीय" वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं दिनांक 23 से 26 मार्च, 2022 तक आयोजित की जाएंगी। अतः समस्त वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा योजना इकाई अध्यापक वेदभूषण "पंचम" वर्ष एवं वेदविभूषण "द्वितीय" वर्ष के छात्रों को वेद एवं अन्य आधुनिक विषयों के निर्धारित पाठ्यक्रम की आवृत्ति (Revision) कराएं तथा वार्षिक परीक्षा हेतु छात्रों को तैयार करें।

दिनांक 23 से 26 मार्च, 2022 तक आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्र, स्थान एवं अन्य विवरण की जानकारी यथाशीघ्र प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।


3.3.2022

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)

सचिव

- प्रतिलिपि : (1) सचिव के निजी सचिव, मसारावेविप्र
(2) डॉ. अनूप कुमार मिश्र, अनुभाग अधिकारी, मसारावेविप्र
(3) समस्त पाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई डीलिंग असिस्टेंट, परीक्षा विभाग
(4) समस्त वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा योजना इकाई अध्यापकों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
(5) कार्यालय आदेश पत्रावली।